पेंशन /सेवानिवृत्ति का लाभ

विषय सूची

क0 सं0	विषय	शासनादेश संख्या / दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार के द्वारा लिये गये निर्णयों के कम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांकः 1.1.2006 के पूर्व एवं 1.1.2006 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन /ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन का स्पष्टीकरण	सं0 420/xxvii(7)/2010 दिनांकः 18 फरवरी, 2010	39–40
2.	छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्रीय सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के कम में वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1.1.2006 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का स्पष्टीकरण	सं0 506/xxvii(7)/2010 दिनांकः 26 अप्रैल, 2010	41–42
3.	पेंशन पुनरीक्षण हेतु का0ज्ञा0 संख्या 419/xxvii(7)/ 2008 दिनांक 27 अक्टूबर ,2008 के प्रस्तर–11 के विषय में निर्गत स्पष्टीकरण विषयक का0ज्ञा0 सं0 221/xxvii(7) /2009 दिनांकः 08 अक्टूबर, 2008 के बिन्दु –2 का स्पष्टीकरण	सं0 548/xxvii(7)/2010 दिनांकः 18 मई, 2010	43–44
4.	अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुए पेंशनर्स की पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान की प्रकिया का निर्धारण	सं0 585/xxvii(7)/2010 दिनांक 08 जून, 2010	45–46
5.	बेसिक शिक्षा परिषद् में की गयी सेवा के उपरान्त दिनांक 1.10.2005 अथवा उसके पश्चात् राजकीय विद्यालयों में नियुक्त होने पर पुरानी पेंशन हित लाभ योजना अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।	सं0509/xxiv–2/10/9(17)/ 2009 दिनांक 11 जून, 2010	47–48
6.	महंगाई भत्ते की दरों में बृद्वि होने पर संशोधित ग्रेच्युटी के आगणन के संबंध में	सं0 593/xxvii(7)/2010 दिनांकः 02 जुलाई, 2010	49–50
7.	दिनांक 9.11.2000 के पूर्व के पेंशनर्स के उ0प्र0 पुर्नगठन	सं0 670/xxvii(7)/2010	51–52

	अधिनियम की धारा–54 की आठवीं अनुसूची के अनुसार पूर्व की भॉति उत्तराखण्ड के शासनादेशों के अनुसार पेंशन व अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ प्रदान किया जाना	दिनांकः 24 सितम्बर, 2010	
8.	केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन पर राहत भुगतान किये जाने हेतु कोषाधिकारियों को अधिकृत किया जाना	सं0 677/xxvii(7)/2010 दिनांकः 20 अक्टूबर, 2010	53–54
9.	पेंशन पुनरीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 421/xxvii(7)/2008, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008,संख्या 305/xxvii(7)/2009, दिनांक 08 अक्टूबर 2009 एवं शासनादेश सं0 420/xxvii(7)/2010, दिनांक 18 फरवरी, 2010 के संबध में स्पष्टीकरण/संशोधन	सं0 723/xxvii(7)/2010, दिनांकः 29 अक्टूबर, 2010	55–58
10	राज्य सरकार के सिविल पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण सम्बन्धी संशोधन	सं0 835/xxvii(7)/2011, दिनांक 28 फरवरी, 2011	59–62
11.	राजकीय विद्यालयों में की गई सेवा के उपरान्त दिनांक 01.10.2005 अथवा उसके पश्चात् अशासकीय विद्यालयों में नियुक्त होने पर पुरानी पेंशन हित लाभ योजना अनुमन्य कराये के संबंध में	सं0 26/xxiv–2/11/9(17)/2009 दिनांकः 31 मार्च, 2011	63–64
12.	राजकीय कर्मचारियों/पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा पुत्रियों के लिए पारिवारिक पेंशन हेतु निर्धारित आयु सीमा को हटाया जाना	सं0 12/xxvii(7)/09(xxiii)/2011, दिनांक 11 मई, 2011	65–66
13.	पेंशन पुनरीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 419/xxvii (7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–6 (3) का संशोधन	सं0 85/xxvii(7)9(24)/2011 दिनांक 07 जून, 2011	67–68

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या: 420 / XXVII(7)/2010
दिनांक :19फरवरी,2010

स्पष्टीकरण

विषय:– छटवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार के द्वारा लिये गये निर्णयों के कम में वेतन समिति,उत्तराखण्ड(2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.06 के पूर्व एवं 1.1.2006 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन / ग्रेच्यूटी / पारिवारिक पेंशन का स्पष्टीकरण।

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या: फा.सं.38 / 37 / 08–पी.एड.पी.डब्ल्यू.(ए) भाग–1 दिनांक 3 अक्टूबर 2008 के कम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या: 419 / XXVII(7) / 2008, दिनांक 27 अक्टूबर 2008, संख्या: 421 / XXVII(7)पेंशन / 2008, दिनांक 27अक्टूबर,2008 एवं ततकम में निर्गत स्पष्टीकरण संख्या: 221 / XXVII(7) / 2008, दिनांक 08 अक्टूबर 2008 एवं संख्या: 305 / XXVII(7) / 2008, दिनांक 08 अक्टूबर,2008 के संदर्भ में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि:–

1– कार्यालय ज्ञाप संख्या: 419 / XXVII (7) / 2008, दिनांक 27 अक्टूबर 2008 के प्रस्तर 6(3) तथा इस संबंध में निर्गत किये गये स्पष्टीकरण के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 221 / XXVII(7)पेंशन / 2008, दिनांक 08 अक्टूबर 2008, के प्रस्तर–1 के बिन्दु संख्या–6 के संबंध में स्पष्ट किया जाता हैं कि अंतिम अहारित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में अहारित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी अधिक लाभप्रद हो, पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था उन कार्मिकों पर लागू होगी जो दिनांक 1.1.2006 से दिनांक 26.10.2008 के मध्य 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत होगें। जो कार्मिक 1.1.2006 से 26.10.2008 के मध्य सेवानिवृत हुए हों, परन्तु 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें पेंशन के पूर्व नियमों के अधीन उनकी सेवाअवधि के आधार पर अनुपातिक दर से पेंशन अनुमन्य होगी।

2– 80 वर्ष एवं उससे अधिक वर्ष के पेशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन के संबंध में भारत सरकार के स्पष्टीकरण संख्या: फा.सं.38 / 37 / 08–पी.एड. पी.डब्ल्यू.(ए) भाग–1 दिनांक 3 अक्टूबर 2008, द्वारा अतिरिक्त पेंशन का लाभ शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य किया गया है। तदनुसार राज्य सरकार के दिनांक 1.1.2006 से पूर्व के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 421 / XXVII(7)पेंशन / 2008, दिनांक 27अक्टूबर 2008, के प्रस्तर–6 में अतिरिक्त पेंशन का लाभ शासनादेश संख्या: 421 / XXVII(7)पेंशन / 2008, दिनांक 27अक्टूबर 2008, के निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य होगा।

3– कार्यालय ज्ञाप संख्या–305/XXVII(7)/2009, दिनांक 8.10.2009 के साथ संलग्न प्रारूप–1 के बिन्दु संख्या–5 में **"धारित पद"** के स्थान पर **"धारित वेतनमान"** एवं संलग्न प्रारूप–2 के शीर्ष पर इंगित शासनादेश संख्या–सा–3–1515/दस–08–308/97, दिनांक 08–12–2008 एवं संख्या–सा–3–1515/दस–08–308/97, दिनांक 11–12–2008 के स्थान पर कार्यालय ज्ञाप संख्या–419/XXVII(7)/2009, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 एंव संख्या–421/XXVII(7)पेंशन/2009, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 एवं उक्त प्रारूप के कमांक (7) (3) (1) में अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन **"80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष"** से कम के स्थान पर **"80 वर्ष किन्तु 85"** वर्ष से कम पढ़ा जाए।

4– उक्त निर्गत किये जा रहे स्पष्टीकरण के फलस्वरूप यदि किन्हीं मामलों में उक्त व्यवस्था से इतर पेंशन आदि आगणित की गई हैं तब उसे उक्तानुसार संशोधित कर भुगतान की कार्यवाही की जाए।

(आलोक कुमार ज़ैन)
प्रमुख सचिव,वित्त ।

संख्याः 420(1)/XXVII(7)/2010 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड,देहरादून ।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
4. सचिव,मा0राज्यपाल, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
5. सचिव,विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
6. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय,नैनीताल / देहरादून ।
7. स्थानीय आयुक्त,उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिट,उत्तराखण्ड,23–लक्ष्मीरोड़,डालनवाला,देहरादून ।
9. निदेशक,लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,23–लक्ष्मीरोड़,डालनवाला,देहरादून
10. समस्त मुख्य/वरिष्ट कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. इरला चैक अनुभाग,उत्तराखण्ड देहरादून ।
13. निदेशक,एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून ।
14. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

संख्या:506 / xxvii(7) / 2010

देहरादून, दिनांक: 26 अप्रैल,2010

स्पष्टीकरण

विषयः–छटवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्रीय सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के कम में वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1–1–2006 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत सरकारी सेवकों को पेंशन / पारिवारिक पेंशन का स्पष्टीकरण।

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः फा.सं.38 / 37 / 08–पी.एड.पी.डब्ल्यू. (ए) भाग–1 दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 के कम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्याः 419 / XXVII(7) / 2008, दिनांक 27 अक्टूबर 2008 एवं तत्कम में निर्गत स्पष्टीकरण संख्या:221 / XXVII(7) / 2009, दिनांक 08 अक्टूबर 2009 एवं संख्याः 420 / XXVII(7) / 2010, दिनांक 18 फरवरी, 2010 के संदर्भ में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि :–

कार्यालय ज्ञाप संख्याः 419 / XXVII(7) / 2008, दिनांक 27 अक्टूबर 2008 के प्रस्तर–6(3) तथा इस संबंध में निर्गत किये गये कार्यालय ज्ञाप संख्याः 221 / XXVII(7) / 2009, दिनांक 08 अक्टूबर 2009 के प्रस्तर–1 के बिन्दु संख्या–6 तथा इस संबंध में निर्गत स्पष्टीकरण संख्या:420 / XXVII(7) / 2010, दिनांक 18 फरवरी, 2010 के प्रस्तर–1 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि 20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अंतिम माह में आहरित वेतन 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित वेतन के 50 प्रतिशत, जो भी अधिक लाभप्रद हो, पेंशन अनुमन्य होगी तथा उक्त व्यवस्था कार्यालय ज्ञाप संख्याः 419 / XXVII(7) / 2008, दिनांक 27 अक्टूबर 2008 के निर्गत होने की तिथि के स्थान पर दिनांक 1–1–2006 से प्रभावी मानी जायेगी।

2– अतः समस्त पेंशन स्वीकृर्ता अधिकारी को यह निदेशित किया जाता है कि वे पेंशन के पुनरीक्षण हेतु पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के क्रम में उक्त निर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें और यदि उक्त व्यवस्था के विपरीत व्यवस्था उक्त कार्यालय ज्ञाप निर्गत करने के बाद नये पेंशन प्रकरणों में की जा चुकी है तो उक्तानुसार संशोधन की कार्यवाही भी अविलम्ब सुनिश्चित की जाएगी।

भवदीय,

/

(राधा रतूड़ी)

सचिव

संख्या :506 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्याः 548 /xxvii(7)/2010
दिनांकः 18 मई, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– पेंशन पुनरीक्षण हेतु का0ज्ञा0 संख्या419/xxvii(7)/2008 दि0 27 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–11 के विषय में निर्गत स्पष्टीकरण विषयक का0 ज्ञा0 सं0 221/xxvii(7)/2009 दि0 8 अक्टूबर,2009 के बिन्दु–2 का स्पष्टीकरण।

छठवें वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण विषयक निर्गत का0ज्ञा0 सं0: 419/xxvii/(7)/2009 दि0 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–11 के विषय में निर्गत स्पष्टीकरण विषयक का0ज्ञा0 संख्याः 221/xxvii(7)/2009 दिनांकः– 8 अक्टूबर,2009 के प्रस्तर–2 के स्पष्टीकरण को निरस्त करते हुए निम्नवत स्पष्टीकरण निर्गत करते हैं:–

पेंशन पुनरीक्षण हेतु निर्गत का0ज्ञा0 संख्या 419/xxvii(7)/2008 दि0 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–11 वृद्ध पेंशनरों हेतु अतिरिक्त पेंशन हेतु 80 वर्ष या 85 वर्ष की आलोच्य अवधि का आशय क्या होगा।	अतिरिक्त पेंशन हेतु 80 या85 वर्ष की आलोच्य अवधि का आशय होगा 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर 81 वाँ वर्ष प्रारम्भ होने पर या 85 वाँ वर्ष पूर्ण होने पर 86 वाँ वर्ष प्रारम्भ होने पर/उक्त व अन्य आयु की गणना उक्तवत ही सुनिश्चित की जाय।

2. उक्त स्पष्टीकरण के फलस्वरूप उपरिलिखित कार्यालय ज्ञाप दि0 8 अक्टूबर,2009 का बिन्दु–2 को निरस्त समझा जाय और समस्त पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन उक्त आलोच्य अवधि के प्रकरणों में उक्तवत ही किया जाना सुनिश्चित करके समस्त एरियर का भुगतान भी तद्नुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्याः-548/xxvii(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्याः 585/xxvii(7)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल ऑडिटर,
देहरादून।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादूनःदिनांकः 08 जून, 2010

विषयः–अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानान्तरित हुए पेंशनर्स की पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान की प्रकिया का निर्धारण ।

महोदय,

उक्त विषय के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 503/XXVII(7)/2010 दिनांक 26, मई 2010 के तृतीय पंक्ति में प्राधिकार पत्र दिनांक 09–01–2010 के स्थान पर दिनांक 08–11–2000 पढ़ा जाए।

2– शासनादेश संख्याः 503/XXVII(7)/2010 दिनांक 26, मई 2010 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त

संख्याः 585 (1)/xxvii(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3..महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 1000प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
12..निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

संख्या 509/XXIV-2/10/9(17)/2009

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 11 जून, 2010

विषयः बेसिक शिक्षा परिषद में की गयी सेवा के उपरान्त दिनांक 1-10-2005 अथवा उसके पश्चात राजकीय विद्यालयों में नियुक्त होने पर पुरानी पेंशन हित लाभ योजना अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- अर्थ-5(क)8/21180/2009-10 दिनांक 06 जुलाई 2009 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद एवं अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/कार्मिक, जो राजकीय/अशासकीय विद्यालयों में संवर्ग के किन्हीं पदों पर दिनांक 1-10-2005 को या उसके पश्चात नये नियुक्त हुए है, परन्तु वे उक्त तिथि से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य सरकार की पुरानी पेंशन हित लाभ योजना से आच्छादित थे, तथा जिनकी पुरानी परिषदीय/अशासकीय विद्यालयों की सेवा और नई राजकीय/अशासकीय विद्यालयों की सेवा के मध्य कोई व्यवधान नहीं है, और वे उचित माध्यम से अनुमति लेकर नयी सेवा में आये हैं, ऐसे शिक्षकों/कार्मिकों को पुरानी पेंशन हित लाभ योजना से आच्छादित किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) उक्त लाभ पेंशनी स्थापना सेवाओं और पदों पर चाहें वे अस्थायी हों या स्थायी हो, दिनांक 1 अक्टूबर 2005 को या उसके पश्चात नियमित चयन के फलस्वरूप सीधी भर्ती से पूर्णकालिक पदों पर नियुक्त एवं पूर्व से राजकीय/अशासकीय सेवा में न रहने वाले तथा प्रवेश करने वाले शिक्षकों/कार्मिकों पर लागू नहीं होगा।

(2) यदि किसी शिक्षक/कार्मिक की नई अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत सी0पी0एफ0 कटौती की गयी है, तो राज्य सरकार का अंश मय ब्याज के राजकोष में जमा किया जायेगा, एवं शिक्षक/कार्मिक का अंशदान ब्याज सहित उसे भुगतान कर दिया जायेगा।

(3) पेंशन के पात्र वही शिक्षक/कार्मिक होगें जो दिनांक 30-9-2005 को या उसके पूर्व नियमित रूप से चयनित हों, तथा नियमित एवं पूर्णकालिक पद पर नियुक्त हों।

(4) संगत परिनियमों/नियमों में उक्तवत् व्यवस्था अविलम्ब करा ली जायेगी।

(5) सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी के द्वारा उक्त व्यवस्था से आच्छादित होने वाले कार्मिकों/शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादन हेतु अविलम्ब उनके जनपद स्तरीय अधिकारी से अभिलेख प्राप्त करके, प्रकरण में आवश्यक आदेश निर्गत करके उसकी सूचना निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को भी दी जायेगी, ताकि कार्मिकों/ शिक्षकों के द्वारा किया गया अभिदान की मय ब्याज के वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

2— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या—2500/XXVII(7)/2010 दिनांक 26 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या—509 (1)/XXIV—2/10/9(17)/2009 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— निजी सचिव—मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3— निजी सचिव—मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4— निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मीरोड डालनवाला, देहरादून।
5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7— अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9— प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11— वित्त (वे0आ0—सा0नि0) अनुभाग—7, उत्तराखण्ड शासन।
12— गार्ड फाईल

आज्ञा से

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव

संख्या-519/XXVII(7)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड
देहरादून।

विभागः वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनु-7 देहरादून : दिनांक 02 जुलाई, 2010

विषयः महँगाई भत्ते की दरों में वृद्धि होने पर संशोधित ग्रेच्युटी के आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार महँगाई भत्ते की दर में वृद्धि होने पर संशोधित ग्रेच्युटी के आदेश निदेशक, लेखा एवं हकदारी द्वारा किये जाते रहे हैं। इस प्रक्रिया में पेंशनरों को संशोधित ग्रेच्युटी भुगतान होने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि निदेशक, लेखा एवं हकदारी द्वारा निर्गत किये जाने वाले मूल भुगतान आदेश में मूल वेतन, महँगाई भत्ते की दर एवं अर्हकारी सेवा जिसके आधार पर ग्रेच्युटी आगणित की गई है, का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा तथा भविष्य में महँगाई भत्ते की दर में वृद्धि होने के कारण यदि किसी पेंशनर की ग्रेच्युटी संशोधित की जानी हो तो यह कार्य कोषागार स्तर पर ही किया जायेगा। संबंधित कोषाधिकारी द्वारा ग्रेच्युटी की नियमानुसार गणना कर, अन्तर के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी एवं संशोधनों का अंकन भुगतानादेशों में लाल स्याही से स्पष्ट रूप से किया जायेगा। कोषागार द्वारा इस आशय की संकलित सूचना निदेशक, लेखा एवं हकदारी को प्रति माह भेजी जायेगी।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या:519(1)XXVII(7)/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

1- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे संबंधित कोषाधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी कर दें एवं साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
2- निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड।
3- समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (बे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

संख्या 670 / XXVII(7) / 2010

देहरादूनः दिनांक 24 सितम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– दिनांकः 9–11–2000 के पूर्व के पेंशनर्स को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा–54 की आठवीं अनुसूची के अनुसार पूर्व की भांति उत्तराखण्ड के शासनादेशों के अनुसार पेंशन व अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ प्रदान किया जाना।

उपर्युक्त विषयक सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखण्ड के पत्र दिनांकः 10–9–2010 के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी को उनसे यह कहने का निदेश हुआ है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशनर्स (9–11–2000 के पूर्व), जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 9–11–2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के लिए स्थानान्तरित किये गये हैं, की प्रास्थिति अन्य राज्यों के पेंशनर्स के समान हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त विधिक परामर्श के अनुसार दिनांकः 9–11–2000 के पूर्व से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों का यह दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है कि अब वे उत्तराखण्ड राज्य के पेंशनर्स हैं। उनका पेंशन पट्टा (पेंशन पेमेन्ट ऑर्डर) उत्तर प्रदेश राज्य ने ही दिया है। अतः उत्तराखण्ड के आदेश उन पर लागू किया जाना विधि के अनुरूप नहीं है।

2–स्पष्टतः दिनांक 9–11–2000 के पूर्व सेवा निवृत्त हुए पेंशनर्स तथा वे पेंशनर जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 9–11–2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के लिए स्थानान्तरित किये गये हैं उनकी समस्त देयता उत्तर प्रदेश राज्य की ही है। अतः इनके पेंशन/पेंशन राहत तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के आधार पर महालेखाकार द्वारा अधिकृत किये जाने पर उत्तराखण्ड राज्य के कोषागारों द्वारा भुगतान किया जाना विधिसम्मत है।

3–महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा भी यह निर्देश दिये गये हैं कि उक्त श्रेणी के पेंशनर्स के पेंशन, पेंशन राहत एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि लाभों के भुगतानों को मुख्य लेखा

शीर्षक–2071 के बजाय लेखा शीर्षक–8793–अन्तर–राज्य उच्चन्त लेखा के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय जैसा कि अन्य राज्य के पेंशनर्स के भुगतानों हेतु किया जाता है, ताकि उक्त भुगतानित धनराशि का सही लेखांकन एवं कोषागारों द्वारा भुगतानित धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

4–इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा भी शासनादेश दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 द्वारा अविभाजित उत्तर प्रदेश की सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो उत्तराखण्ड में स्थायी निवास कर रहे हैं, के स्वयं तथा परिवार के उन पर पूर्णतः आश्रित सदस्यों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान की प्रकिया को सुविधाजनक बनाते हुए इन दावों के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली एवं सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को अधिकृत किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य के पेंशनर्स जो उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान हेतु इसी प्रकार की सुविधाजनक व्यवस्था उत्तराखण्ड राज्य के चिकित्सा अनुभाग–3 के शासनादेश दिनांक 20 अगस्त, 2010 द्वारा सुनिश्चित की गयी है।

उक्त समग्र तथ्यों के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 26–5–2010 को निरस्त किये जाने/संशोधित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।

श्री आर0एस0 परिहार,
प्रदेश अध्यक्ष,
सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन उत्तराखण्ड,
कैम्प कार्यालय 6 प्रीति विहार, इंदिरा गाँधी मार्ग, निरंजनपुर,
पोस्ट, माजरा, जनपद देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:677 / xxvii(7) / 2010
देहरादून, दिनांक:20 अक्टूबर,2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–केन्द्र सरकार द्वारा मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन पर राहत भुगतान किए जाने हेतु कोषाधिकारियों को अधिकृत किया जाना ।

केन्द्र सरकार द्वारा मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन पर राहत भुगतान किया जाता है। अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली पेंशन की धनराशि की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। अतः भविष्य में केन्द्र सरकार में मंहगाई राहत स्वीकृत होने पर उसी आधार पर पेंशन राहत स्वीकृत किये जाने हेतु कोषाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है।

भवदीया,
(राधा रतूडी)
सचिव,वित्त

संख्या : 677 (1) / XXVII(7) / 2010 तददिनांक
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं सह स्टेट इन्टरनल आडिटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मुख्य एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. गार्ड फाइल ।
6. वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ ।

आज्ञा से
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 723 / XXVII(7) / 2010
देहरादून, दिनांकः 29 अक्टूबर,2010

स्पष्टीकरण

विषयः–पेंशन पुनरीक्षण् हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्याः421 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008, संख्याः305 / XXVII(7) / 2009 दिनांक 08 अक्टूबर,2009 एवं संख्याः 420 / XXVII(7) / 2010 दिनांक 18 फरवरी,2010 के संबंध में स्पष्टीकरण / संशोधन।

विभिन्न राजकीय पेंशनर्स संघो द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राजकीय पेंशनर्स के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों तथा तत्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण के संबंध में की गई जिज्ञासा के क्रम में अद्योहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश हुआ हैः–

क0 सं0	बिन्दु	टिप्पणी
1	2	3
1	ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर जिनको उनकी पेंशन छठे वेतन आयोग से पूर्व न्यूनतम पेंशन 1275 / – से कम निर्धारित होकर प्राप्त हो रही थी, को छठे वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम पेंशन का निर्धारण कैसे होगा। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 421 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के बिन्दु संख्याः8 में 1–1–2006 के पूर्व पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की न्यूनत्तम धनराशि रू01275 को पुनरीक्षित कर रू0 3500 किया गया है किन्तु इसमें समेकित कुटुम्ब पेंशन को अंतिम पेंशन समझा जाता है तो ऐसी कुटुम्ब पेंशन संबंधित पेंशनभोगी / मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अंतिम पद के 1–1–2006 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगी का उल्लेख नहीं किया गया है।	वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञा.प संख्याः421 XXVII (7) / 2008 दिनांक 27–10–2008 के द्वारा छठे केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्रीय सरकार की भांति दिनांक 1–1–2006 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर की पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है तथा जिसके प्रस्तर–8 में 1–1–2006 से पूर्व पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर्स की न्यून्तम धनराशि रू0 1275 को पुनरीक्षित कर रू0 3500 किया गया है तथापि ऐसी पेंशन समुचित यथानुपात तरीके से कम हो जाएगी, जहां पेंशनभोगी ने, पेंशनभोगियों, पर उसके / उसकी अधिवार्षिकी / सेवानिवृति की तारीक की स्थिति के अनुसार पूर्ण पेंशन हेतु वांछनीय अधिकतम सेवा से कम सेवा की हो और यह किसी भी मामलें म रू03500 प्रतिमाह से कम नहीं होगी। अतः उचित होगा कि इसी आधार पर जिन पेंशनर्स को 1–1–2006 से पूर्व रू0 1275 से कम पेंशन प्राप्त हो रही है उन्हें भी रू0 3500 पेंशन पुनरीक्षित किये जाने पर विचार किया जाए। पूर्ण अर्हकारी सेवा पूर्ण न करने पर ही समानुपातिक आधार पर न्यूनतम पेंशन में क़मी होगी।

2		शासनादेश संख्याः 305 / xxvii (7) / 2009 दिनांक 8– 10–2009 के प्रस्तर–2 के अनुसार पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थिापित बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी की व्यवस्था है। इसी प्रकार जहां समेकित कुटुम्ब पेंशन को अंतिम पेंशन समझा जाता है तो ऐसी कुटुम्ब पेंशन संबंधित पेंशन भोगी / मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अंतिम पद के 1–1–2006 से लागू संशोधित वेतनमान / वेतन बैण्ड में मूल वेतन तथा ग्रेड पे के न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
3	वित्त विभाग के शासनादेश सं0 305 / xxvii(7) / 2009 दिनांक 8– 10–2009 के प्रस्तर–3 में पेंशन / पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप–1 की तिथि 31 दिसम्बर,2009 से आगे बढ़यी जाए।	वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः305 / xxvii(7) / 2009 दिनांक 8 – 10–2009 के प्रस्तर–3 में पेंशन / पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर्स से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप–1 पर भर कर उसे प्रमाणित करते हुए संबंधित कार्यालयध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित कोषागार को प्रेषित किये जाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर,2009 निर्धारित की गई थी किन्तु कतिपय पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स संघो द्वारा यह जिज्ञासा की जा रही है कि अभी भी प्रदेश में अधिकांश ऐसे पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स है जिनके द्वारा उक्त तिथि तक उक्त प्रारूप भर कर कोषागार में जमा नहीं किया गया है अथवा संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्षों द्वारा उक्त प्रारूप कोषागारों को प्रारूप नहीं जमा किया गया है फलस्वरूप ऐसी स्थिति में उचित होगा कि उक्त प्रारूप जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर,2009 को दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक बढ़ा दी जाए।
4	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420 / xxvii(7) दिनांक 18–2–2010 में जहॉ–जहॉ पर शासनादेश संख्याः221 / xxvii(7) / 2008 दिनांक 08 अक्टूबर,2008 इंगित किया गया है उसके स्थान पर 08 अक्टूबर, 2008 होगा अथवा 08 अक्टूबर,2009।	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420 / xxvii(7) दिनांक 18–2–2010 में कतिपय स्थानों पर शासनादेश संख्याः221 / xxvii (7) / 2008 दिनांक 08 अक्टूबर,2008 त्रुटिवश गलत इंगित होने के कारण इसके स्थान पर **"08 अक्टूबर,2009 पढ़ा जाए।"**

5	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420 /XXVii(7) दिनांक 18–2 –2010 के बिन्दु संख्या–2 में 80 वर्ष एवं उससे अधिक वर्ष के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की अनुमन्यता शासनादेश जारी होने की तिथि के स्थान पर अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष या अधिक आयु होने पर, जिस माह में जन्म तिथि पड़ती है उस माह की पहली तारीख से देय होगी अथवा दिनांक 1–1–2006 से होगी।	इस संबंध में पेंशनर्स संघो द्वारा भारत सरकार का कार्यालय ज्ञाप संख्या:38/37 / 08–पीएंड पी.डब्ल्यू(ए) दिनांक 03 अक्टूबर, 2008 के बिन्दु संख्या:4.5 के आधार पर अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष या अधिक आयु होने पर जिस माह में जन्म तिथि पड़ती है उस माह की पहली तारीक से देय किये जाने के संबंध में यह अवगत कराना है कि भारत सरकार के उक्तांकित कार्यालय ज्ञाप में उक्त व्यवस्था शासनादेश जारी होने की तिथि से ही लागू है। फलस्वरूप वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420/XXVii(7) दिनांक 18–2–2010 के बिन्दु संख्या–2 में संशोधन का आधार नहीं है।
6	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या: 420/XXVii(7) दिनांक 18–2– 2010 के प्रस्तर–1 में अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी लाभप्रद हो, पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था उन कार्मिकों पर लागू होगी जो दिनांक 1–1–06 से दिनांक 26– 10–08 के मध्य 20/10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होंगे। जो कार्मिक 33 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करते परन्तु 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगें उनको पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी। 33 वर्ष से कम सेवा के कारण अनुपातिक कमी नहीं की जाएगी।	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या: 420/XXVii(7) दिनांक 18–2–2010 के प्रस्तर–1 में अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी लाभप्रद हो, पेंशन अनुमन्य होने की व्यवस्था को स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या:506 XXVii(7) दिनांक 26–4–2010 के प्रस्तर–1 में स्पष्ट व्यवस्था पूर्व में ही की जा चुकी है कि उक्त व्यवस्था दिनांक 27 अक्टूबर,2010 के स्थान पर दिनांक 1–1–2006 से ही लागू होगी अर्थात उक्त तिथि के बाद सेवानिवृत कार्मिको को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्ण पेंशन एवं अंतिम माह में आहरित वेतन का 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित औसत वेतन का 50 प्रतिशत का लाभ अनुमन्य किया गया है।
7	दिवंगत हुए सरकारी सेवक के पद में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन के विषय में कार्यालय ज्ञाप संख्या 419/XXVii(7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के बिन्दु 8(1) की सातवीं पंक्ति में अब सात वर्ष के स्थान पर "10 वर्ष पर" अनुमन्य होगी अथवा "10 वर्ष तक"।	दिवंगत हुए सरकारी सेवक के पद में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन, अब सात वर्ष के स्थान "10 वर्ष पर" के स्थान पर "10 वर्ष तक" पढ़ा जाए।

2– उक्त कालम–3 में प्रस्तावित व्यवस्था के फलस्वरूप संगत कार्यालय ज्ञाप उक्त सी तक संशोधित समझा जाए।

3– उक्त बिन्दुओं पर अब उक्त स्पष्ट की जा रही स्थिति के अनुसार कार्यावन्यन व कार्यवाही संबंधित पेंशन स्वीकृर्ता अधिकारियों के द्वारा की जानी सुनिश्चित की जाएगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 723 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या835 / XXVII(7) / 2011
देहरादून, दिनांक28 फरवरी,2011

कार्यालय ज्ञाप / शुद्धि पत्र

वेतन समिति, उत्तराखण्ड 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्सो की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या:421 / XXVII(7)पें0 / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के अनुकम में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–3 तथा तत्कम में समय–समय पर निर्गत स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से निम्नवत संशोधित समझा जाए:–

वर्तमान व्यवस्था	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
"पेंशन का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि दिनांक 1–1–2006 से लागू वेतनमान में वेतनबैण्ड के न्यूनतम तथा वेतन पुनरीक्षित होने के ठीक पूर्व जिस पद पर कर्मचारी ने कार्य किया हो, अनुमन्य ग्रेड पे को जोड़कर न्यूनतम 50 प्रतिशत से कम पेंशन निर्धारित न हो, अर्थात 1–1–2006 के पूर्व के पद के वेतनमान को दिनांक 1–1–2006 के समतुल्य बैण्ड पे के न्यूनतम तथा ग्रेड पे का 50 प्रतिशित पद का न्यूनतम पेंशन अर्ह होगी परन्तु ऐसे प्रकरणों में अर्ह सेवा का अनुपात आंगणित करना आवश्यक होगा"।	"पेंशन का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि दिनांक 1–1–2006 से लागू वेतनमान में वेतनबैण्ड के न्यूनतम तथा वेतन पुनरीक्षित होने के ठीक पूर्व जिस पद पर कर्मचारी ने कार्य किया हो, के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सादृश (Corresponding) वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। एच0ए0 जी0 तथा उच्च वेतनमानों के लिए यह वेतनमान के न्यूनतम का 50 प्रतिशत होगी।

2– दिनांक 01 जनवरी,2006 के पूर्व लागू वेतनमान तथा दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड, जैसा कि शासनादेश संख्या:335 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 में दिये गये है, में न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड पे एवं दिनांक 01 जनवरी,2006 को न्यूनतम पेंशन की धनराशि संलग्न तालिका में दिये गये है। प्रतिबन्ध यह होगा कि जहां अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है, वहां यह धनराशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी किन्तु किसी भी दशा में यह ₹ 3500 प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

3– दिनांक 01 जनवरी,2006 से पूर्व सेवानिवृत्त एवं पुर्नयोजित पेंशनरों के पुर्नयोजन पर जिनके वेतन का निर्धारण उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में से शुद्ध पेंशन(राशिकृत पेंशन को सम्मिलित करते हुए) घटाकर कर दिया गया है, को इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन का लाभ, पुर्नयोजन की अवधि समाप्त होने की अगले तिथि से देय होगा।

संलग्नक:–यथोक्त।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त ।

संख्या :835 (1)/XXVII(7)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

	दिनांक 01 जनवरी,2006 के पूर्व लागू वेतनमान (₹ में)	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे (₹ में)		वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन (₹ में)	ग्रेड पे (₹ में)	न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग (₹ में)	दिनांक 01 जनवरी,2006 को न्यूनतम पेंशन (₹ में)
1	2	3		4	5	6	7
1	2750–70–3800–75–4400	5200–20200	1800	5200	1800	7000	3500
2	3050–75–3950–80–4590	5200–20200	1900	5830	1900	7730	3865
3	3200–85–4900	5200–20200	2000	6460	2000	8460	4230
4	4000–100–6000	5200–20200	2400	7510	2400	9910	4955
5	4500–125–7000	5200–20200	2800	8560	2800	11360	5680
6	4500–125–7250	5200–20200	2800	8560	2800	11360	5680
7	5000–150–8000	9300–34800	4200	9300	4200	13500	6750
8	5500–175–9000	9300–34800	4200	9300	4200	13500	6750
9	6500–200–10500	9300–34800	4200	9300	4200	13500	6750
10	7450–225–11500	9300–34800	4600	12540	4600	17140	8570
11	7500–250–12000	9300–34800	4800	13350	4800	18150	9075
12	8000–275–13500	9300–34800	5400	15600	5400	21000	10500
13	8000–275–13500	15600–39100	5400	15600	5400	21000	10500
14	8550–275–14600	15600–39100	5400	15600	6600	22200	11100
15	10000–325–15200	15600–39100	6600	18750	6600	25350	12675
16	10650–325–15850	15600–39100	6600	18750	6600	25350	12675
17	12000–375–16500	15600–39100	7600	21900	7600	29500	14750
18	14300–400–18300	37400–67000	8700	37400	8700	46100	23050
19	16400–450–20000	37400–67000	8900	40200	8900	49100	24550
20	18400–500–22400	37400–67000	10000	43000	10000	53000	26500
21	22400–525–24500	37400–67000	–	67000	–	6700	33500

टिप्पणीः–

1) दिनांक 01–01–2006 के पूर्व के वेतनमान ₹2550–3200, ₹ 2610–3540 तथा ₹ 2650–4000 का उल्लेख इस तालिका में नहीं किया गया है क्योंकि दिनांक 01–01–2006 से इन वेतनमानों के पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग ₹ 7000/– से कम होने के कारण इन वेतनमानों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन स्वतः ₹ 3500/– प्रति माह निर्धारित होगी।

2) वित्त(वेतन–आयोग)अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के उपरान्त जहां किसी पुराने वेतनभान के सदृश बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन में संशोधन किये गये हो, वहां ऐसे संशोधनों को संज्ञान में लेते हुए संशोधनों के प्रभावी होने की तिथि से न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड वेतन की राशियों में संशोधन कर न्यूनतम पेंशन की राशि का आगमण किया जायेगा।

संख्या 36 /XXIV–2/11/9(17)/2009

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2011

विषयः राजकीय विद्यालयों में की गयी सेवा के उपरान्त दिनांक 1–10–2005 अथवा उसके पश्चात अशासकीय विद्यालयों में नियुक्त होने पर पुरानी पेंशन हित लाभ योजना अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 509/XXIV–2/10/9(17)/2009 दिनांक 11 जून, 2010 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या– अर्थ 5(क)8/21452–53/पेंशन/2010–11 दिनांक 06 जुलाई 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/कार्मिक, जो अशासकीय विद्यालयों में संवर्ग के किन्हीं पदों पर दिनांक 1–10–2005 को या उसके पश्चात नये नियुक्त हुए है, परन्तु वे उक्त तिथि से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य सरकार की पुरानी पेंशन हित लाभ योजना से आच्छादित थे, तथा जिनकी पुरानी राजकीय विद्यालयों की सेवा और नई अशासकीय विद्यालयों की सेवा के मध्य कोई व्यवधान नहीं है, और वे उचित माध्यम से अनुमति लेकर नयी सेवा में आये हैं, ऐसे शिक्षकों/कार्मिकों को पुरानी पेंशन हित लाभ योजना से आच्छादित किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या– 509/XXIV–2/10/9(17)/2009 दिनांक 11 जून, 2010 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है।

2– संगत परिनियमों/नियमों में उक्तवत् व्यवस्था अविलम्ब कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2 यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–4959/XXVII(7)/2010 दिनांक 01 मार्च 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या–26 (1)/XXIV–2/11/9(17)/2009 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव–मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मीरोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाईल

आज्ञा से

कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 12 / xxvii(7)09(xxiii) / 2011
देहरादून, दिनांकः 11 मई,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राजकीय कर्मचारियों / पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा एंव तलाकशुदा पुत्रियों के लिए पारिवारिक पेंशन हेतु निर्धारित आयु सीमा को हटाया जाना।

वेतन समिति की संस्तुति से राज्य सरकार के दिनांक 01–01–2006 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या 419 / xxvii(7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–8(2)(क)(3) में की गई व्यवस्था में पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु राजकीय कर्मचारी की मृत्यु के दिन 25 वर्ष से कम आयु की अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को दिनांक 01–01–2006 से पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह माना गया था तथा शासनादेश संख्याः3–984 / दस–98–308 / 97 दिनांक 24 जुलाई, 1998 के प्रस्तर–1 के बिन्दु 1 में अन्य शर्तो के अलावा विधवा एवं तलाकशुदा पुत्रियों के लिए पारिवारिक पेंशन, उनके 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा पुर्नविवाह करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अनुमन्य की गई है।

2– अतः उक्त के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों / पेंशनभोगियों की अविवाहित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाये जाने हेतु निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) अविवाहित पुत्रियों को भी 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद अन्य शर्ते पूरी कर लिए जाने की शर्त के अधीन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाया जाए।

(ii) अविवाहित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की सहमति उनकी जन्म तिथि के कमानुसार दी जाएगी और उनमें से छोटी पुत्री तब तक पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे अगली बड़ी पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र नहीं ठहरायी जाती।

(iii) 25 वर्ष से बड़ी आयु की अविवाहित पुत्रियाँ केवल तभी पारिवारिक पेंशन की पात्र होंगी जबकि 25 वर्ष से कम आयु के अन्य पात्र बच्चे, पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिए पात्र नहीं रहे हों और यह कि परिवार में पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिए कोई निःशक्त संतान नहीं है।

3– उक्त संशोधन के फलस्वरूप उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 जुलाई,1998 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 अक्टूबर,2008 को केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए और उनके शेष सभी प्राविधान यथावत रहेगें।

4– उक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त

संख्या : 12 (1)/XXVII(7)09(xxiii)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
9. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
13. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
14. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 85 / xxvii(7)9(24) / 2011
देहरादून, दिनांकः 07 जून,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–पेंशन पुनरीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्याः419 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–6(3) का संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारी संघ द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम दिनांक 01–01–2006 अथवा उसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन / ग्रेच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण में संशोधन के संबंध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्याः419 / XXVII (7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–6(3) में नीचे उल्लिखित कालम–1 के अनुसार व्यवस्था को नीचे कालम–2 के अनुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

वर्तमान बिन्दु 6(3)	संशोधित बिन्दु 6(3)
20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर **'अंतिम माह में आहरित वेतन'** या 10 माह की औसत परिलब्धियां जो भी कर्मचारी को लाभकारी हों, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी। जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, उनके लिए भी उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू होगी।	20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर **'अंतिम आहरित वेतन'** या 10 माह की औसत परिलब्धियां जो भी कर्मचारी को लाभकारी हों, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी। जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, उनके लिए भी उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू होगी।

2– उक्त के फलस्वरूप उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक27 अक्टूबर,2008 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाए।

3– उक्त बिन्दुओं पर अब उक्त स्पष्ट की जा रही स्थिति के अनुसार कार्यावन्यन की कार्यवाही संबंधित पेंशन स्वीकृर्ता अधिकारियों के द्वारा की जानी सुनिश्चित की जाएगी।

भवदीय,
(राधा रतूडी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 86 (1)/XXVII(7)9(24)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
9. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. सामान्य प्रशासन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
15. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।